

न्यायालय रावत अर्पण पाठिकाणी, जोधपुर

पीठाधीन अर्पिकाणी श्री जयदाज बरत, आर.ए.एस.

2021-189 RAAjodhpur.2021-70RTA223 Smt. Mangru Kanwar Vs Smt. Rasal

kanwar etc

श्रीमती मण्जुकर पत्नी श्री सुभरसिंह, जालि राजपूत, जिवासी-
बुवाडी तहसील बाप, जिवा जोधपुर।

--- अर्पण

ब

न

म

1. श्रीमती रसालकर पत्नी सुभरसिंह, पत्नी शरसिंह जालि राजपूत, जिवासी-
बुवाडी तहसील बाप, जिवा जोधपुर।

पक्षाभा पक्षकार

2. सुभरसिंह पुत्र सुभरसिंह जालि राजपूत, जिवासी-
जिवासी-सिंहणा, तहसील बाप, जिवा जोधपुर।
3. लोकर पत्नी सुभरसिंह जालि राजपूत,
जिवासी-सिंहणा, तहसील बाप, जिवा जोधपुर।
4. करणसिंह पुत्र सुभरसिंह जालि राजपूत,
जिवासी-सिंहणा, तहसील बाप, जिवा जोधपुर।
5. यवपसिंह पुत्र सुभरसिंह जालि राजपूत,
जिवासी-सिंहणा, तहसील बाप, जिवा जोधपुर।
6. पणु कर पुत्री सुभरसिंह पत्नी सुभरसिंह जालि
राजपूत, जिवासी-श्रीकमकर तहसील अर्पिकाणी,
जिवा जोधपुर।
7. राजकर पुत्री सुभरसिंह, पत्नी शरसिंह जालि
राजपूत, जिवासी-श्रीकमकर तहसील अर्पिकाणी,
जिवा जोधपुर।
8. मण्जुकर पुत्री सुभरसिंह पत्नी शिवदाससिंह
जालि राजपूत, जिवासी-लोहरकी, तहसील
पोकरण, जिवा जैसलमेर।
9. शैलसिंह पुत्र शिवसिंह जालि राजपूत, जिवासी-
सिंहणा, तहसील बाप, जिवा जोधपुर।
10. इन्दरसिंह पुत्र शरसिंह जालि राजपूत, जिवासी-
सिंहणा, तहसील बाप, जिवा जोधपुर।
11. शिवसिंह पुत्र शरसिंह जालि राजपूत, जिवासी-
सिंहणा, तहसील बाप, जिवा जोधपुर।

रावत अर्पण पाठिकाणी
जोधपुर

(Handwritten signature)



श्री अशोक मंगुकर
जोधपुर

अक्टूबर, 2021

दिनांक : 04

लिपि

श्री मंगेशसिंह राठौड़, अधिवक्ता अपीलाट
श्री पुण्ड्र सिंह, अधिवक्ता रैफ़ी. सं. 1
उपस्थित -

--- 0 ---

अपील अन्वयात धारा 223 राजस्थान कायदाकारी
अधिलेखन 1955 बरखिलाफ आदेश सहयक कलेक्टर बाप
लिपि एवं डिफ़ी दिनांक 28 फरवरी 2020 राजस्व बाह
संख्या 470/2013 लुणसिंह बलाम सरदारसिंह इत्यादि

--- रैफ़ीडेट्स



12. डाक्टर बेवा रासिंह जाति राजपूत, जिला-
राहणा, तहसील बाप, जिला जोधपुर।
 13. मवाडीसिंह पुत्र सुखसिंह जाति राजपूत, जिला-
राहणा, तहसील बाप, जिला जोधपुर।
 14. भीरा कवर पत्नी सुखसिंह जाति राजपूत,
जिला- राहणा, तहसील बाप, जिला जोधपुर।
 15. शरसिंह पुत्र शीवासिंह जाति राजपूत, जिला-
राहणा, तहसील बाप, जिला जोधपुर।
 16. सुभरसिंह पुत्र शीवासिंह जाति राजपूत, जिला-
राहणा, तहसील बाप, जिला जोधपुर।
 17. पूरकवर बेवा शीवासिंह जाति राजपूत, जिला-
राहणा, तहसील बाप, जिला जोधपुर।
 18. भासिंह पुत्र खोवासिंह जाति राजपूत, जिला-
राहणा, तहसील बाप, जिला जोधपुर।
 19. रंवासिंह पुत्र रंवासिंह जाति राजपूत, जिला-
राहणा, तहसील बाप, जिला जोधपुर।
 20. रंभाराम पुत्र गोभंदरम जाति कुंभार, जिला-
राहणा, तहसील बाप, जिला जोधपुर।
- छावा, तहसील जोधा, जिला बीकानेर।

सहायक कलेक्टर एवं उपरान्त अधिकाारी बापु निरुपय एवं

डिप्टी दिनांक 28 फरवरी 2020 राजस्व वाद संख्या 470/2013

गुणसिंह बगाम सरदारसिंह इत्यादि के खिलाफ आंगीत्य अपील

अदालत हलान के समक्ष राजस्थान कायदाकारी अधिनियम, 1955

की धारा 223 के तहत दिनांक 28 जून 2021 को पेश की गयी

है।

अपील के साथ गुणाना पत्र वास्ते अपील अर्जुमति एवं

गुणाना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील

प्रस्तुत करने की अर्जुमति प्रदान किये जाने तथा अपील प्रस्तुति में

डूई देरी का भाप किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी एवं

प्रतिवादीवाम संख्या 01 से 13 की सामग्री खानेदारी अर्जि खसरा नं.

450 रकबा 155.11 बीघा सरहद मौजा रोहिणा तहसील बापु के

विभाजन के लिए दावा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी संख्या

तीन/रेप्री. संख्या एक रसालकर पुत्री इंदारसिंह ने उक्त विवाहित

अर्जि में अपनी संपूर्ण हिस्सा खसरा नं. 45 में 1/8 व खसरा नं. 468

में 1/6 हिस्सा अपीलान्त को दिनांक 08.02.2008 को बेचान कर दिया

तथा उक्त बेचाननामों के अधार पर नामांतरकरण संख्या 744/05.04.

2008 अरकर स्वीकृत किया गया। विवाहित अर्जि का दावा सन 2013

में प्रस्तुत करते समय अपीलान्त की जगह प्रतिवादी संख्या तीन रसाल

कर को पक्षकार संयोजित कर दिया गया तथा दिनांक 28 फरवरी

2020 को प्राथमिक डिप्टी एवं निरुपय के निरुपय प्रतिवादी/रेप्री. संख्या

एक नाम राजस्व रेकॉर्ड में इन्डान के आदेश दे दिये गये, जिसके

दिएख आंगीत्य अपील प्रस्तुत की गई।

राजस्थान सरकार
जोधपुर
[Signature]



गणेश अपील प्राधिकारी
नोएपूर

बदल सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलान्टस ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया खसरा नं. 450 रकबा 155.11 बीघा नं 1/8 हिस्सा तथा खसरा नं. 468 रकबा 79 बीघा नं 1/6 हिस्सा रैस्पॉन्डेंट हिस्सा एक रसाल कवर का बना था, जिसे रसाल कवर ने अपने मर्यादा आम करणसिंह पुत्र सरदारसिंह निवारसी-बुवाडी के बरिसे अपना सम्पूर्ण हिस्सा दिनांक 08 फरवरी 2008 को बरिसे रजिस्टर्ड विक्रय बेवानामा अपीलेंट को बेतान कर दिया तथा उक्त बेवानामा के अधार पर अपीलेंट के नाम से नामांतरकरण संख्या 744 दिनांक 05.04.2008 को भरा गया एवं रसाल कवर की जगह मांगू कवर का नाम रजस्ट्रर रेकर्ड में दर्ज हो गया तथा उक्त दावे में रसालकवर एवं मांगू कवर के बीच किसी प्रकार का विवाद नहीं था। दिकान दावा करते समय भूगवेष या अन्य किसी कारण से दाद में परिवर्तनी संख्या तीन रसाल कवर को पक्षकार बना दिया गया, लेकिन माजलीय अपीलेंटस के समक्ष रजस्ट्रर रेकर्ड उपलब्ध होने के बावजूद भी माजलीय अपीलेंटस से रजस्ट्रर रेकर्ड को देखने व समझने में भारी भूल हुई है, जिसे सुधाराना जाना व्यापारित है। प्रथम पर वारंटे अपील अर्जात एवं प्रथम पर अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम के संबंध में अपीलेंट के अधिवक्ता ने कथन किये कि अपीलेंट विवादखस्त आरानी की रेकर्ड सह खातेवर है। अपीलेंटस अपीलेंटस के समक्ष विचारधीन दाद में अपीलेंटस के आवश्यक एवं दिवख पक्षकार होने के बावजूद भी उसे पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया गया। अपीलेंट को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलेंटस अपीलेंटस द्वारा अपीलेंटस को लिख एवं प्रथमिक दिकी जारी हुई। इसलिए अपीलेंटस अपीलेंटस को अपीलेंटस लिख एवं दिकी जालकरी समय पर नहीं हो सकी। अतः



राजस्थान अधीनस्थ विभागाध्यक्ष
जोधपुर

उभयपक्षकारण के अधिवक्तावण की उपरोक्त बैठक पर
राजस्थान अधीनस्थ विभागाध्यक्ष को उपरोक्त अधिवक्तावण
का अधिवक्तावण अधिवक्तावण किया गया। पत्रावली पर उपरोक्त
संख्या: 2063-66 नाम अधिवक्तावण अधिवक्तावण अधिवक्तावण
विशेषक आउ तहसील फलीदी के खाला संख्या 373, 375 पुराना 359,
361 के मुताबिक भाग्य कवर पत्र सं. सुनरसिंह विवाहसत अधीन

रेफरेंस संख्या एक को इसमें कोई आपत्ति नहीं है।
के स्थान पर अधीनस्थानों का नाम स्थापित कर दिया जावे।
एक द्वारा अधिवक्तावण को बेचान कर दिये जाने से रेफरेंस संख्या एक
संख्या तीन के हिस्से में घोषित 1/8 हिस्सा प्रतिवादी/रेफरेंस संख्या
द्वारा पत्रित निर्णय एवं इसकी दिनांक 28 फरवरी 2020 में प्रतिवादी
में सहमति प्रदान करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय
पत्रावली की आदेशिका दिनांक 01.10.2021 के तदनुसार पर निर्णय रूप
के अधिवक्तावण के कथनों पर सहमति जताते हुए न्यायालय द्वारा की
जवाब में शीघ्र अधिवक्तावण रेफरेंस संख्या एक ले अधिवक्तावण
करमावे।



में अधिवक्तावण के अधिवक्तावण ले निर्देशन किया कि अधिवक्तावण विवरण एवं
आवश्यक प्रमाणित पक्षकार होने से उसे अधीन प्रस्तुत करने की
अनुमति प्रदान की जाकर अधीन प्रस्तुति में हुए विवरण को क्षमा
किया जावे तथा अधीन अदर न्याय शृंगार की जाकर गुणवत्ता पर
स्वीकार करमावी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रित निर्णय
एवं इसकी दिनांक 28 फरवरी 2020 को अपारत करने के आदेश
करमावे अथवा मामला अधीनस्थ न्यायालय को पुनः रिमाण्ड किया
जाकर मामले में पक्षकार बनाकर पुनः इसकी जारी करने का आदेश

राजस्थान प्रजासत्ताक
जोधपुर

॥

उपर्युक्त विवेक एवं विवेचन के आधार पर अधोल अधोलिखित स्वीकार की जाकर अधोलिखित न्यायालय अधोलिखित स्वीकार की जाकर अधोलिखित

किये जाने के आदेश दिए जाने जाय संज्ञा है।
अधोलिखित आदेश में स्थापना की जाह मांजक की प्रतिस्थापित
प्रतिस्थापित किये जाने पर सहमति प्रदान की गई। लिहाजा
एक के अधिवक्ता ने भी स्थापना की जाह मांजक की
नाम बरीर खातेदार राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज हो गया। रेपॉर्ट संख्या
विरुद्ध नामांतरण संख्या 744 दिनांक 05.04.2008 से अधोलिखित का
को विरुद्ध रिपोर्ट बचान से विक्रय कर दिये जाने के फलस्वरूप
है, जबकि स्थापना कर द्वारा अपना हिस्सा अधोलिखित मांजक
में प्रतिवादी संख्या तीन स्थापना कर का 1/8 हिस्सा धारित किया
अधोलिखित निर्णय एवं प्राथमिक डिप्टी दिनांक 28 फरवरी 2020

विचारधारा की जाती है।

अधोलिखित प्रस्ताव करने में हुई देरी को माफ किया जाकर अधोलिखित
बहस पर विचार करने के लिए अधोलिखित अधोलिखित अधोलिखित
धारित विरुद्ध एवं इस संबंध में अधिवक्ता-अधोलिखित द्वारा की गयी
अधिवक्ता की धारा 5 के तहत प्रस्ताव अधोलिखित अधोलिखित
जाने की अधोलिखित प्रदान की जाती है तथा भारतीय समाज स्थापना
अधोलिखित स्वीकार किया जाकर अधोलिखित अधोलिखित
जाना पाया जाता है। जाय दिव में अधोलिखित अधोलिखित
उसके विरुद्ध अधोलिखित निर्णय एवं प्राथमिक डिप्टी अधोलिखित
वही किया गया तथा उसे बिना सूनाई का अधोलिखित प्रदान किये
उसे अधोलिखित न्यायालय में विचारणीय एवं अधोलिखित अधोलिखित
विचारधारा अधोलिखित अधोलिखित अधोलिखित अधोलिखित अधोलिखित
धारा नं. 468 एवं 450 की रेकॉर्ड सहखातेदार है। अधोलिखित अधोलिखित



2021/189 RAAjodhpur
 2021-70RTA223 Smt. Mangi Kanwar Vs Smt. Rasal Kanwar etc
 2021-189 RAAjodhpur
 2021-70RTA223 Smt. Mangi Kanwar Vs Smt. Rasal Kanwar etc

34505 अधिकाारी बाए निर्णय एवं डिकी दिनांक 28 फरवरी 2020
 राजस्व वाद संख्या 470/2013 गुणसिंह बलाम सरदारसिंह इत्यादि में
 प्रतिवादी संख्या 03 रसाजकर की जाह माजुकर प्रतिवादी संख्या
 दीन के रूप में प्रतिस्थापित (Substitute) किसे जाने के आदेश के
 आदेश दिये जाते हैं। तदुपरिचय बाए निर्णय एवं डिकी की पाठना में
 तदुपरिचय अमल दामद करे। तदुपरिचय डिकी पूर्ण जारी हो।



डिप्टी क्वेश्चन अपील

अब आदालत राजस्व अपील याचिकाशी, जोधपुर

वडवलास श्री नयनदास बासड, आर.ए.एस.

रेजिस्ट्रार

1. श्रीमती रसाणकर पुत्री डोंगरसिंह, पत्नी शेरसिंह जालि राजपूत, जिवासी- रोहिण, तहसील बाप, जिवाला जोधपुर, डाल- लोहारकी तहसील पोकरण, जिवाला जोधपुर।

प्रकार

2. खर्चासिंह पुत्र सुखासिंह जालि राजपूत, जिवासी- रोहिण, तहसील बाप, जिवाला जोधपुर।
3. लोणकर पत्नी सरदारसिंह जालि राजपूत, जिवासी- रोहिण, तहसील बाप, जिवाला जोधपुर।

अ

4. करणसिंह पुत्र सरदारसिंह जालि राजपूत, जिवासी- रोहिण, तहसील बाप, जिवाला जोधपुर।
5. पतापसिंह पुत्र सरदारसिंह जालि राजपूत, जिवासी- रोहिण, तहसील बाप, जिवाला जोधपुर।
6. पद्म कवर पुत्री सरदारसिंह पत्नी खेवसिंह जालि राजपूत, जिवासी- रोहिण, तहसील बाप, जिवाला जोधपुर।

7. राजकंवर पुत्री सरदारसिंह, पत्नी जिवाला जोधपुर।
8. अनोकरकर पुत्री सरदारसिंह पत्नी जिवाला जोधपुर।

9. दीनसिंह पुत्र विवेसिंह जालि पोकरण, जिवाला जोधपुर।
10. इंदरसिंह पुत्र राजसिंह जालि राजपूत, जिवासी- रोहिण, तहसील बाप, जिवाला जोधपुर।
11. विक्रमसिंह पुत्र राजसिंह जालि राजपूत, जिवाला जोधपुर।

ब

श्रीमती भाणकर पत्नी श्री सुभरसिंह, जालि राजपूत, जिवासी- वडाडी तहसील बाप, जिवाला जोधपुर।

अपीलार



राजस्थान सरकार
जोधपुर

Handwritten signature or initials.

राज्य अधीन माहिती
वापर

म.क.

28 फरवरी 2020 राजस्व वाद संख्या 470/2013
व्याजगत्य सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप विर्णय एवं डिप्टी दिवाक
उपस्थित होकर हुआ अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अधीनस्थ
राज्य भिन्नानिब अपीलान्त एवं अधिवक्ता श्री पृथ्वी सिंह भिन्नानिब रे-पी.
सह अपील बारीख 04 अक्टूबर 2021 बहानरी अधिवक्ता श्री मनोहर सिंह

दादा बाबू

--- 0 ---

अपील अन्वयात धारा 223 राजस्थान करानकारी अधिनियम
1955 बरखिलाक आदेश सहायक कलेक्टर बाप विर्णय
एवं डिप्टी दिवाक 28 फरवरी 2020 राजस्व वाद संख्या
470/2013 एणसिंह बगाम सरदारसिंह इत्यादि



- राजपूत, निवासी- रोहिणा, तहसील बाप, निगा जोधपुर।
- 12. दवाकवर बेवा राजसिंह जति राजपूत, निवासी- रोहिणा, तहसील बाप, निगा जोधपुर।
- 13. सबाईसिंह पुत्र सुखसिंह जति राजपूत, निवासी- रोहिणा, तहसील बाप, निगा जोधपुर।
- 14. भीरा कवर पत्नी सुखसिंह जति राजपूत, निवासी- रोहिणा, तहसील बाप, निगा जोधपुर।
- 15. शरसिंह पुत्र शीवसिंह जति राजपूत, निवासी- रोहिणा, तहसील बाप, निगा जोधपुर।
- 16. रूसीसिंह पुत्र शीवसिंह जति राजपूत, निवासी- रोहिणा, तहसील बाप, निगा जोधपुर।
- 17. पुरकवर बेवा शीवसिंह जति राजपूत, निवासी- रोहिणा, तहसील बाप, निगा जोधपुर।
- 18. शवासिंह पुत्र शीवसिंह जति राजपूत, निवासी- रोहिणा, तहसील बाप, निगा जोधपुर।
- 19. देवसिंह पुत्र शीवसिंह जति राजपूत, निवासी- रोहिणा, तहसील बाप, निगा जोधपुर।
- 20. खमाराम पुत्र शीवसिंह जति राजपूत, निवासी- रोहिणा, तहसील बाप, निगा जोधपुर।

